न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 71/14(प्राथमिक डिक्री)
अपीलांट

1. भंवरी देवी पत्नी जवरीलाल जी
2. शिवलहरी पुत्र जवरीलाल जी
3. जुगल किशोर पुत्र भंवरलाल
4. प्रकाश चन्द्र पुत्र भंवरलाल
5. आयचुकी पत्नी भंवरलाल
   5/1 सुरज देवी पुत्री भंवरलाल
   5/2 ललिता देवी पुत्री भंवरलाल
   5/3 विनोद पुत्र भंवरलाल
6. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल
7. माणकचन्द पुत्र मोहनलाल
8. व्रजरतन पुत्र जोगीलाल
9. जेठमल पुत्र मदनलाल
10. हेमन्त पुत्र मदनलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
12. कमला देवी पत्नी मदनलाल
13. कंचन देवी पत्नी सुरेश
14. संतोष पुत्री सुरेश नाबालिग
15. धर्मेन्द्र पुत्र सुरेश तमाम जाति ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सुभाष चन्द्र पुत्र अम्बालाल
2. श्यामलाल पुत्र अम्बालाल
3. कौशल्या देवी पुत्र अम्बालालजी
4. भरतनारायण पुत्र अम्बालालजी
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरप्रसाद
6. अजीत कुमार पौत्र रामलाल
7. गीतादेवी पत्नी पुत्र वधु रामलाल
8. लीला देवी पुत्री मदनलाल
9. मुन्नी देवी पुत्री मदनलाल तमाम जातिगण ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर पाली।
11. उपपंजीयक अधिकारी रायपुर जिला पाली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील संख्या : 72/14(अन्तरिम डिक्री)
अपीलांट

1. भंवरी देवी पत्नी जवरीलाल जी
2. शिवलहरी पुत्र जवरीलाल जी
3. जुगल किशोर पुत्र भंवरलाल
4. प्रकाश चन्द्र पुत्र भंवरलाल
5. आयचुकी पत्नी भंवरलाल

5/1 सुरज देवी पुत्री भंवरलाल
5/2 ललिता देवी पुत्री भंवरलाल
5/3 विनोद पुत्र भंवरलाल

6. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल
7. माणकचन्द पुत्र मोहनलाल
8. व्रजरतन पुत्र जोगीलाल
9. जेठमल पुत्र मदनलाल
10. हेमन्त पुत्र मदनलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
12. कमला देवी पत्नी मदनलाल
13. कंचन देवी पत्नी सुरेश
14. संतोष पुत्री सुरेश नाबालिग
15. धर्मेन्द्र पुत्र सुरेश तमाम जाति ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सुभाष चन्द्र पुत्र अम्बालाल
2. श्यामलाल पुत्र अम्बालाल
3. कौशल्या देवी पुत्र अम्बालालजी
4. भरतनारायण पुत्र अम्बालालजी
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरप्रसाद
6. अजीत कुमार पौत्र रामलाल
7. गीतादेवी पत्नी पुत्र वधु रामलाल
8. लीला देवी पुत्री मदनलाल
9. मुन्नी देवी पुत्री मदनलाल तमाम जातिगण ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर पाली।
11. उपपंजीयक अधिकारी रायपुर जिला पाली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील संख्या : 73/14(प्राथमिक डिक्री)
अपीलांट

1. भंवरी देवी पत्नी जवरीलाल जी
2. शिवलहरी पुत्र जवरीलाल जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. जुगल किशोर पुत्र भंवरलाल
4. प्रकाश चन्द्र पुत्र भंवरलाल
5. आयचुकी पत्नी भंवरलाल
5/1 सुरज देवी पुत्री भंवरलाल
5/2 ललिता देवी पुत्री भंवरलाल
5/3 विनोद पुत्र भंवरलाल
6. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल
7. माणकचन्द पुत्र मोहनलाल
8. व्रजरतन पुत्र जोगीलाल
9. जेठमल पुत्र मदनलाल
10. हेमन्त पुत्र मदनलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
12. कमला देवी पत्नी मदनलाल
13. कंचन देवी पत्नी सुरेश
14. संतोष पुत्री सुरेश नाबालिग
15. धर्मेन्द्र पुत्र सुरेश तमाम जाति ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सुभाष चन्द्र पुत्र अम्बालाल
2. श्यामलाल पुत्र अम्बालाल
3. कौशल्या देवी पुत्र अम्बालालजी
4. भरतनारायण पुत्र अम्बालालजी
5 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरप्रसाद
6 अजीत कुमार पौत्र रामलाल
7 गीतादेवी पत्नी पुत्र वधु रामलाल
8 लीला देवी पुत्री मदनलाल
9 मुन्नी देवी पुत्री मदनलाल तमाम जातिगण ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।
10 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर पाली।
11 उपपंजीयक अधिकारी रायपुर जिला पाली।
12 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील संख्या : 74/14(अन्तरिम डिक्री)
अपीलांट

1. भंवरी देवी पत्नी जवरीलाल जी
2. शिवलहरी पुत्र जवरीलाल जी
3. जुगल किशोर पुत्र भंवरलाल
4. प्रकाश चन्द्र पुत्र भंवरलाल
5. आयचुकी पत्नी भंवरलाल
5/1 सुरज देवी पुत्री भंवरलाल
5/2 ललिता देवी पुत्री भंवरलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5/3 विनोद पुत्र भंवरलाल
6. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल
7. माणकचन्द पुत्र मोहनलाल
8. व्रजरतन पुत्र जोगीलाल
9. जेठमल पुत्र मदनलाल
10. हेमन्त पुत्र मदनलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
12. कमला देवी पत्नी मदनलाल
13. कंचन देवी पत्नी सुरेश
14. संतोष पुत्री सुरेश नाबालिग
15. धर्मेन्द्र पुत्र सुरेश तमाम जाति ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सुभाष चन्द्र पुत्र अम्बालाल
2. श्यामलाल पुत्र अम्बालाल
3. कौशल्या देवी पुत्र अम्बालालजी
4. भरतनारायण पुत्र अम्बालालजी
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरप्रसाद
6. अजीत कुमार पौत्र रामलाल
7. गीतादेवी पत्नी पुत्र वधु रामलाल
8. लीला देवी पुत्री मदनलाल
9. मुन्नी देवी पुत्री मदनलाल तमाम जातिगण ब्राहम्ण निवासी क्रमावास मालियान तहसील रायपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर पाली।
11. उपपंजीयक अधिकारी रायपुर जिला पाली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-
1. श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 12 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक : 20.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 168/2012 एवं 169/2012 बअनवान

राजस्व अपील प्राधिकारी

सुभाष चन्द्र बनाम श्यामलाल वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2013 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम करमावास मालियान के खसरा नंबर 43, 100, 131, 35 के संबध में वाद संख्या 168/2012 एवं ग्राम निम्बेडा कला के खसरा नंबर 519 व 242 के संबध में वाद संख्या 169/2012 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनो प्रकरणो में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो वादो को समेकित किया जाकर जैर अपील अन्तरिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वादो को दिनांक 27.12.2012 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उसके पश्चात तीन पेशिया दिनांक 05.02.2013, 19.03.2013, 12.04.2013 में पीठासीन अधिकारी के उपस्थिति नही रहने बाबत आदेशिका दर्ज की गई। उसके पश्चात अपीलांट गीतोदवी, राजेन्द्र कुमार, ब्रजरतन, भरतनारायण, ओमप्रकाश, धर्मेन्द्र, हेमन्त व कमला की विधिवत तामिल कराये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 08 के पति का नाम कमला पत्नी मदनलाल दर्जशुदा वाद के अनुसार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संशोधित टाईटल जो बिना आदेश के पेश किया व बिना तारीख का पेश किया गया उसमें उक्त पक्षकार के पति का नाम सुरेश दर्ज किया गया है व मदनलाल का पुत्र बताया गया है। इसके अतिरिक्त वाद में कंचन देवी पत्नी सुरेश व संतोष पुत्री सुरेश को भी पक्षकार का बनाया गया। जो भी वाद में पक्षकार नही है, एवं धर्मेन्द्र के वारिसान नहीं है। जिनको क्रम संख्या 7/1, 7/2 दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त लीला मुन्नी भी प्राथमिक निर्णय व डिक्री में पक्षकार नही थे एवं न ही उक्त पक्षकारानों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनने हेतु किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा दो अलग–अलग वाद ग्राम निम्बेंडा की कृषि भूमि हेतु वाद संख्या 168/12 एवं करमावास की कृषि भूमि हेतु वाद संख्या 168/12 प्रस्तुत किये, एवं दोनो दावो का निस्तारण अलग–अलग हुआ। किन्तु अपीलांट शिवलहरी एवं भंवरीदेवी को निम्बेडा कला की कृषि भूमि मे बंटवाडा नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिर्पोट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई। जिसमें नाप चौप कर बंटवाडा नही किया गया, एवं न ही भूमि की किस्म का ध्यान रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम निर्णय व डिक्री दोनो वादो का समेकित कर पारित की गई, जो कि विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण की प्रोपर तामिल करवाये, सुनवाई का अवसर दिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की धारा 18 से 21 की पालना किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम करमावास मालियान के खसरा नंबर 43, 100, 131, 35 के संबध में वाद संख्या 168/2012 एवं ग्राम निम्बेडा कला के खसरा नंबर 519 व 242 के संबध में वाद संख्या 169/2012 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनो प्रकरणो में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो वादो को समेकित किया जाकर जैर अपील अन्तरिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वादो को दिनांक 27.12.2012 को दर्ज रजिस्टर किया गया। इसके पश्चात प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जो कि स्वंय एवं अपीलांटगण संख्या 01 से 06, 08 व 09 की स्वंय द्वारा तामिल एवं अपीलांट संख्या 07 भाई कन्हैया द्वारा तामिल, इसके अतिरिक्त शेष रेस्पोडेन्टगण की तामिल भाई जेठमल द्वारा होकर प्राप्त हुई। जो कि उक्त अपील मे पक्षकार है। उसके पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 व 05, 06, 09, 10 की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब हेतु समय चाहा। प्रतिवादीगण संख्या 01, 19, 14, 07, 06 न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा कोई जवाबदावा व वकालतनामा प्रस्तुत नही हुआ एवं न ही उक्त पक्षकारान ने दावे में किसी प्रकार का प्रतिरोध किया। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 04, 07, 08, 11 व 19 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 23 व 24 को पक्षकार बनाया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के हक हिस्से में विधिक अधिकारी होने से संशोधित टाईटल पेश हुआ। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर दोनो वादो में जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। उसके पश्चात उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाडा द्वारा उक्त आराजीयात के संबध में बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रकरण संख्या 168/2012 पूर्व से लोक अदालत में सुनवाई नियत था, वकील वादी द्वारा प्रकरण संख्या 169/2012 की तारीख पेशी दिनांक 25.04.2014 नियत होने से पत्रावली तलब कर लोक अदालत में सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली लोक अदालत कैम्प में तलब की गई। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवाडा रिर्पोट के आधार पर अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

संभागीय अपील प्राधिकारी
पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम करमावास मालियान के खसरा नंबर 43, 100, 131, 35 के संबध में वाद संख्या 168/2012 एवं ग्राम निम्बेडा कला के खसरा नंबर 519 व 242 के संबध में वाद संख्या 169/2012 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनो प्रकरणो में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो वादो को समेकित किया जाकर जैर अपील अन्तरिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को जो नोटिस जारी किया गया उक्त नोटिस अपीलांट संख्या 01 से 06 स्वंय द्वारा तामिल, अपीलांट संख्या 07 भाई कन्हैया द्वारा तामिल, अपीलांट संख्या 08 व 09 स्वंय द्वारा तामिल, अपीलांट संख्या 11 से 13 व 16 के नोटिस भाई जेठमल द्वारा तामिल प्राप्त हुए। जो कि उक्त अपील में बतौर पक्षकार संयोजित है। उसके पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 व 05, 06, 09, 10 की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब हेतु समय चाहा। प्रतिवादीगण संख्या 01, 19, 14, 07, 06 न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा कोई जवाबदावा व वकालतनामा प्रस्तुत नही हुआ एवं न ही उक्त पक्षकारान ने दावे में किसी प्रकार का प्रतिरोध किया। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 04, 07, 08, 11 व 19 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 23 व 24 को पक्षकार बनाया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के हक हिस्से में विधिक अधिकारी होने से संशोधित टाईटल पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या लीलादेवी एवं मुन्नी देवी द्वारा जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर दोनो वादो में जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा उक्त आराजीयात के संबध में बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रकरण संख्या 168/2012 पूर्व से लोक अदालत में सुनवाई नियत था, वकील वादी द्वारा प्रकरण संख्या 169/2012 की तारीख पेशी दिनांक 25.04.2014 नियत होने से पत्रावली तलब कर लोक अदालत में सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जारी नोटिस अपीलांट संख्या 01 से 06 स्वंय द्वारा तामिल, अपीलांट संख्या 07 भाई कन्हैया द्वारा तामिल, अपीलांट संख्या 08 व 09 स्वंय द्वारा तामिल, अपीलांट संख्या 11 से 13 व 16 के नोटिस भाई जेठमल द्वारा तामिल प्राप्त हुए, एवं जेठमल हस्तगत प्रकरण बतौर पक्षकार संयोजित है। जेठमल परिवार का वयस्क सदस्य होने से सम्यक तामिल की श्रेणी में आता है। एवं शेष रेस्पोडेन्ट द्वारा बावजूद तामिल के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नही आये। जिससे यह तो स्पष्ट है कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की सम्पूर्ण जानकारी थी, किन्तु उक्त पक्षकारान जानबूझकर उपस्थित नहीं आये। इसके अतिरिक्त जेठमल स्वंय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नोटिस तामिल करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया एव अपीलांट संख्या 11 से 16 के नोटिस जेठमल स्वंय द्वारा प्राप्त किये गये, किन्तु उक्त पक्षकारान की ओर से भी कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण लीला व मुन्नी द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिस पर तनकीयात विचरित किया जाना संभव नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 11 से 16 के नोटिस जेठमल द्वारा तामिल किये गये थे, किन्तु जेठमल द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट जेठमल स्वच्छ हाथो से हाजा न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 168/2012 एवं 169/2012 में पक्षकार एकसमान होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनो वादो को समेकित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 71/2014, 72/2014, 73/2014, 74/2014 सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 168/2012 एवं 169/2012 बअनवान सुभाष चन्द्र बनाम श्यामलाल वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2013 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2014 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। मूल निर्णय की प्रति संबधित प्रकरण संख्या 86/2017 के साथ संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली